न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./70/2013/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. पदमाराम पुत्र बालाराम 2. केहनाराम पुत्र बालाराम 3. मांसिंगाराम पुत्र बालाराम जाति जाट निवासी जानियावाला (बाछड़ाऊ) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर।	बनाम	1.हनीफ खां पुत्र वली खां 2.गनी खां पुत्र वली खां जाति मुसलमान निवासी मांगता तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी के राजस्व वाद संख्या 258/2011 बअनवान हनीफ बनाम पदमा निर्णय दिनांक 29.04.2013।

उपस्थिति

1. वकील श्री भंवरलाल चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मनोज पारिक रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 01.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मांगता के खेत खसरा संख्या 329 रकबा 43.09 बीघा भूमि आई हुई है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का वाद पेश किया कि अपीलांटगण रेस्पोडेंट/वादीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी पैदा नहीं करे। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा मूल वाद में जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा गया था उसके बाद वकीलों की हड़ताल हो गई व उसके बाद न्यायालय का मुख्यालय बाड़मेर की जगह गुड़ामालानी कर दिया गया। जिस पर पत्रावलियों गुड़ामालानी स्थानान्तरित कर दी गई। मुख्यालय बदलने के कारण 2–3 माह तक पेशियो भी नहीं दी गई थी। पत्रावली अधर झूल में थी। फिर दिनांक 28.02.2013 को प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर, जवाब बन्द कर दिया गया। अपीलांट के खेत खसरा संख्या 801/751 में रेस्पोडेंट द्वारा बार–बार अतिक्रमण करने पर अपीलांट द्वारा पुलिस थाना धोरीमना में धारा 447 भा0द0स0 का मुकदमा दर्ज करवाया गया। पटवारी मांगता व बाछड़ाऊ के पटवारियों से

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पैमाईश करने पर रेस्पोडेंट का अतिक्रमण अपीलांट के खेत में पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट के खेत खसरा संख्या 801/751 में रेस्पोडेंट द्वारा बार–बार अतिक्रमण करने पर अपीलांट द्वारा पुलिस थाना धोरीमना में धारा 447 भा0द0स0 का मुकदमा दर्ज करवाया गया। पटवारी मांगता व बाछड़ाऊ के पटवारियों से पैमाईश करने पर रेस्पोडेंट का अतिक्रमण अपीलांट के खेत में पाया गया। अपीलांट/प्रतिवादीगण द्वारा कभी भी रेस्पोडेंट की भूमि पर अतिक्रमण नही किया, नही कभी प्रयास ही किया और न ही भविष्य में कभी अतिक्रमण करने का विचार है। अपीलांटगण ने कभी अतिक्रमण नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण द्वारा मूल वाद में जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा गया था उसके बाद वकीलों की हड़ताल हो गई व उसके बाद न्यायालय का मुख्यालय बाड़मेर की जगह गुड़ामालानी कर दिया गया। जिस पर पत्रावलियों गुड़ामालानी स्थानान्तरित कर दी गई। मुख्यालय बदलने के कारण 2–3 माह तक पेशियो भी नहीं दी गई थी। पत्रावली अधर झूल में थी इसके बावजूद अपीलांटगण के विरूद्ध दिनांक 28.02.2013 एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई एवं जवाब पेश करने का अवसर बन्द कर दिया गया है। अपीलांट को जबाव पेश करने का अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ एवं अपीलांट के अधिकारों का हनन किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांटगण का सुनवाई का अवसर नहीं दिया गा। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेंट/वादीगण ग्राम मांगता तहसील गुड़ामालानी के खेत खसरा संख्या 329 रकबा 43.09 बीघा भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार है तथा अपीलांटगण/प्रतिवादी के खातेदारी खेत उक्त वादग्रस्त आराजी के सेढा–सेढ अवस्थित है। अपीलांट/प्रतिवादी सेढा तोड़कर हमेशा रेस्पोडेंट/वादीगण की खातेदारी पर जबरन काबिज होने पर उतारू रहते है। रेस्पोडेंटगण के कब्जा काश्त में किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं किया जावे इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाकर निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है एवं मूल वाद में जवाब एवं साक्ष्य पेश करने अवसर नहीं दिया गया।

चूंकि विवादित खेत पृथक–पृथक गांवों की सरहद पर स्थित है एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्दों दिनांक 04.01.2012 तथा दिनांक 06.09.2012 से मामला ओवरलेपिंग का प्रतीत होता है। इसलिए अपीलांटगण व रेस्पोडेंट्स एक–दूसरे की भूमि पर अतिक्रमण का दावा कर रहे है। मौके पर विवादित तीनों खसरों यथा ग्राम मांगता खसरा संख्या 329, ग्राम जानीयावाला(बाछडाऊ) खसरा संख्या 753 व 801/751 की भूमि की सरहद निर्धारित करने हेतु एक विज्ञ टीम गठित कर सीमांकन करवाने से ही विवाद का निपटारा होने की संभवना है। इसलिए अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना ही उचित होगा। उपरोक्त तथ्यों के विवेचन में अपीलांट की अपील को रिमाण्ड करना उचित होगा।

अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 258/2011 बअनवान हनीफ बनाम पदमा में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.04.2013 को अपास्त किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह तहसीलदार गुड़ामालानी की निगरानी में एक विज्ञ टीम गठित करवाकर बाद पैमाईश स्पष्ट सीमांकन निर्धारित करवाए तथा रिपोर्ट लेकर तत्पश्चात समुचित आदेश पारित करे।

01/04/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 01.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

01/04/19
राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner